

वचाराधीन कैदियों के लिये मतदान का अधिकार

प्रलिस के लिये:

कैदियों के वोट का अधिकार, एनसीआरबी, अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) से संबंधित प्रावधान।

मेन्स के लिये:

वचाराधीन कैदियों के लिये मतदान का अधिकार।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने जनप्रतिनिधित्व कानून के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली एक याचिका पर वचारा करने का फैसला किया है जो वचाराधीन कैदियों, [सविलि जेलों](#) में कैद व्यक्तियों और जेलों में सजा काट रहे कैदियों पर वोट डालने से पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।

संबंधित नहितार्थ:

- **जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को वंचित करता है:**
 - [राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो \(एनसीआरबी\)](#) की वर्ष 2021 की नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि 31 दिसंबर, 2021 तक देश भर की विभिन्न जेलों में कुल 5,54,034 कैदी थे।
 - वर्ष 2021 के अंत तक दोषियों, वचाराधीन कैदियों और बंदियों की संख्या क्रमशः 1,22,852, 4,27,165 और 3,470 थी, जो कुल कैदियों के क्रमशः 22.2%, 77.1% और 0.6% थी।
 - वर्ष 2020 से 2021 तक वचाराधीन कैदियों की संख्या में 14.9% की वृद्धि हुई थी।
- **कानून और लोकतंत्र के सम्मान में कमी:** जेल के कैदियों को मताधिकार से वंचित करने से ऐसा संदेश पहुँचने की अधिक संभावना है जो उन मूल्यों को बढ़ाने वाले संदेशों की तुलना में कानून और लोकतंत्र के प्रति सम्मान को कमजोर करते हैं।
- **अधिकार से वंचित रखना:**
 - वोट देने के अधिकार से वंचित रखना दंड के वैद्य मापदंडों का अनुपालन नहीं करता है।
 - यदि एक दोषी व्यक्ति जमानत पर बाहर होने पर मतदान कर सकता है, तो एक वचाराधीन व्यक्ति को उसी अधिकार से वंचित क्यों किया जाता है, जिसे अभी तक कानून की अदालत द्वारा अपराध का दोषी नहीं पाया गया है।
 - यहाँ तक कि एक देनदार (एक व्यक्ति जिसे अदालत के फैसले के बावजूद अपने करज का भुगतान नहीं किया है) जिसे एक नागरिक के रूप में गरिफ्तार किया गया है, उसे वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाता है। [सविलि जेलों में नज़रबंदी अपराधों के लिये कारावास के विपरीत है।](#)
- **उचित वर्गीकरण का अभाव:**
 - दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, कनाडा, आदि देशों के विपरीत इस प्रतिबंध में अपराध की प्रकृति या सजा की अवधि के आधार पर उचित वर्गीकरण का अभाव है।
 - वर्गीकरण का यह अभाव [अनुच्छेद 14 \(समानता का अधिकार\)](#) के तहत समानता के मौलिक अधिकार के लिये अभिशाप है।

मतदान से संबंधित कैदियों के अधिकार:

- संविधान के [अनुच्छेद 326](#) के तहत मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के तहत पुलिस की कानूनी हरिसत में और दोषी ठहराए जाने के बाद कारावास की सजा काटने वाले व्यक्ति मतदान नहीं कर सकते। वचाराधीन कैदियों को भी चुनाव में भाग लेने से बाहर रखा जाता है, भले ही उनके नाम मतदाता सूची में हों।
- केवल [नविकर नरिंध](#) के तहत शामिल व्यक्ति डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

प्रश्न- भारत के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि:

1. जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल से वंचति नहीं कयिा जा सकता क्योकयिह उसके अधकिार का मामला बन जाता है।
2. कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लयिे राज्य सरकारों के अपने नयिम हैं।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या :

- पैरोल को उन कैदियों के लयिे वशिषाधकिार के नज़रयिे से देखा जा सकता है जो समाज में फरि से शामिल होने में सकषम प्रतीत होते हैं।
- हालाँकि कुछ आपराधकिे कानून पैरोल की अंतमि सुनवाई का अधकिार रखते हैं, वशिषिट कानून पैरोल की पूरी तरह से गारंटी नहीं देते हैं। जनि कैदियों को वे खतरनाक समझते हैं, उन्हें पैरोल देने से इनकार करने का अधकिार अधकिारयिों के पास है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- पैरोल, जेल अधनियिम, 1894 और जेल अधनियिम, 1900 के तहत बनाए गए नयिमों द्वारा शासति होता है। कई राज्य सरकारों ने नरिणय लेने की सुवधि के लयिे दशिा-नरिदेश भी तैयार कयिे हैं ताकायिह नरिधारति कयिा जा सके कककिरिी वशिष मामले में पैरोल दी जानी चाहयिे या नहीं। उदाहरण के लयिे राजस्थान प्रज़िनरस रलीज़ ऑन पैरोल नयिम, 1958। **अतः कथन 2 सही है।**

अतः वकिल्प (b) सही है।

[स्रोत: द हट्टि](#)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/voting-rights-for-under-trial-prisoners>

